CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 27 ▫ अंक- 235 ▫ रायपुर, मंगलवार 17 सितम्बर 2024 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

आतिशी चुनाव तक दिल्ली की नई सीएम आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी

नई दिल्ली, 17 सितम्बर (न्यूज चैनल)। अरविंद केजरीवाल के शीर्ष पद से हटने की घोषणा के दो दिन बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। विधायक दल की बैठक में केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और इसे आप विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आतिशी आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। आतिशी को आप विधायक दल का नेता और दिल्ली का नया सीएम चुने जाने के बाद दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज दिल्ली आप विधायक दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी को अगले दिल्ली चुनाव तक सीएम की जिम्मेदारी दी गई। विपरीत परिस्थितियों में हमें यह जिम्मेदारी देनी पड़ी।%

दिल्ली के मंत्री ने आगे कहा कि जिस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार, पूरी बीजेपी, देश के पीएम ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए साजिश रची और एजेंसियों का दुरुपयोग किया। जिस तरह से देश में सरकारें गिराई गईं, उसी तरह दिल्ली सरकार को भी गिराने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी कोशिशों को नाकाम करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकता और काम जारी रखा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल से इस्तीफा देने का प्रयास किया ताकि वे सरकार को गिरा सकें। लेकिन दिल्ली के लोगों के हित में, अरविंद केजरीवाल ने जेल से इस्तीफा नहीं देने और वहीं से सरकार चलाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद, अपनी सबसे बड़ी ताकत – ईमानदारी के साथ, उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए वह किया जो आज तक भारत में किसी अन्य राज्य सरकार ने नहीं किया। बाहर आने के बाद, उन्होंने लोगों की अदालत में जाने का फैसला किया और जब तक लोग उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुनते हैं, वह मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे।

केजरीवाल का इस्तीफा दिल्ली के लिए दुखद, मुझे बधाई मत दीजिए : आतिशी

दिल्ली आप विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी पहली बार मीडिया से मुखातिब हुईं। अरविंद केजरीवाल के पद छोड़ने के बाद वह दिल्ली की नई सीएम होंगी। आतिशी ने कहा कि मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने केजरीवाल को अपना गुरू भी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं केजरीवाल के इस्तीफे से दुखी हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। उन्होंने भाजपा पर अरविंद केजरीवाल को परेशान करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान आतिशी ने कहा कि आज मैं खुश भी हूं और दुखी भी। दुख इसलिए कि मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो अपनी ढ्ढक्रस् की नौकरी छोड़कर सेवा के लिए राजनीति में आया। उन्होंने कहा कि ऐसे ईमानदार आदमी पर बीजेपी ने झूठे केस किए किए गए। दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और वो नाम है अरविंद केजरीवाल।

आतिशी के सीएम के नाम पर सांसद स्वाति मालीवाल ने उठाए सवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद क्क संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नए सीएम के लिए आतिशी का नाम प्रस्तावित किया। अधिकांश विधायकों ने इस पर सहमति जतायी. जब विधायक दल की बैठक स्थगित हुई और वोटिंग खत्म हुई तो आतिशी के नाम की औपचारिक घोषणा की गई। हालांकि, आप सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफ़ज़ल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने दावा किया कि उनके माता पिता ने आतंकी अफ़ज़ल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्पति को दया याचिकाएें लिखी।

पीएम आवास में कोताही बर्दाश्त नहीं, पैसा मांगने की शिकायत पर कलेक्टर पर होगी कार्रवाई

मोर आवास, मोर अधिकार सीएम साय की सख्त चेतावनी

रायपुर, 17 सितंबर(हाईवे चैनल)। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में मोर आवास, मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम आवास योजना के 5 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को पहली किश्त जारी की जाएगी. इस मौके पर सीएम ने हितग्राहियों के पैर भी पखारे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा, यदि किसी भी हितग्राही से पैसों की मांग की जाएगी तो उस जिले के कलेक्टर पर कार्रवाई होगी. सीएम ने कहा, सभी कलेक्टर कान खोलकर सुन लें, पीएम आवास में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी. शिकायत आई तो कलेक्टर पर कार्रवाई होगी.सीएम साय ने कहा, आज हमने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का पैर धोकर स्वागत किया है. बार-बार दिल्ली जाकर प्रयास करके आवास स्वकृत कराया है. 18 लाख आवास की स्वीकृति हमने दिया है. 8 लाख लोगों का आज पैसा स्वीकृत हुआ है. आज भुनेश्वर से पीएम मोदी हितग्राहियों के खाते में पैसा डालने वाले हैं. 2 लाख आवास बनकर तैयार हो गया है. पीएम मोदी उनको ग्रह प्रवेश कराएंगे.

डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, पीएम मोदी का जन्मदिन है, 5 लाख लोगों को आज प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है. 18 लाख आवास की बात हुई है. एक-एक आवास को गिन गिन कर बनाएंगे. विष्णुदेव साय के सीएम बनने के बाद हर महीना 25 हजार आवास पूरा हो रहा है. 5 लाख से अधिक खाते में आज पैसा जाएगा. 9 लाख से ज्यादा लोगों को पैसा मिलेगा. जिसका आवास नही आया है उनका भी नाम जोड़ने का काम आज से शुरू हो चुका है. विष्णुदेव की सरकार है. किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है. कोई भी पैसा लेता है तो उसकी शिकायत अपने अधिकारी और अपने नेता से करें. उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा,विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खाद्य मंत्री दयाल दास मंत्री, विधायक अनुज शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू मौजूद हैं.

ब्रेकिंग न्यूज

पति ने तीर से गला रेतकर की पत्नी की हत्या, फिरखुद लगा ली फांसी

कोरबा, 17 सितंबर(हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले खूनी वारदात का खौफनाक मामला सामने आया है. पति ने अपनी पत्नी की तीर से गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी खुद फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर लिया. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी. वहीं जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। यह पूरा मामला श्यांग थाना अंतर्गत ठेंगरीमार गांव का है. जानकारी के अनुसार, गांव में एक घर में जगन्नाथ मंझवार (37 वर्ष) अपने परिवार के साथ रहता था. जगन्नाथ मंझवार रोजी-मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. उसके परिवार में पत्नी के अलावा एक 12 वर्षीय पुत्र और बूढ़ी मां इतवारो बाई भी रहती थी. सोमवार की शाम जगन्नाथ और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हुई.

चूहा- सुनती हो, आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी।
चुहिया- हां जी, अभी तो केजरीवाल निहत्थे हो गए हैं।

छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ की ठगी 4 शातिर पुलिस की गिरफ्त में

जगदलपुर, 17 सितंबर(हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ की बस्तर पुलिस ने शेयर बाजार में पैसे लगवाकर करीब 6 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 4 लोगों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ठगों ने बस्तर, दुर्ग और भिलाई के कुछ लोगों से करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी की है। जगदलपुर के एक शख्स से 26 लाख 30 हजार रुपए ठगी हुई। इसके बाद पुलिस ने स्नढ्ढक्र दर्ज कर जांच की। इसके बाद ठगों की सच्चाई सामने आई। शातिरों का सारा कारोबार दुबई से चल रहा था, लेकिन बस्तर पुलिस शातिरों के जाल का पर्दाफाश कर दिया।

जगदलपुर के सेतराम साहू ने बताया कि सोशल मीडिया पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक विज्ञापन देखा था, जिसके माध्यम से -109 नाम के वॉट्सऐप ग्रुप में जुड़ा। ग्रुप में जुड़ने के बाद शेयर बाजार में पैसे लगाकर हाई रिटर्न देने का दावा किया गया था। साथ ही निवेश के बाद कभी भी पैसे निकालने की बात कही गई थी। सेतराम साहू ने बताया कि मोबाइल में ऐप्लीकेशन ञ्चक्क स्न्न डाउनलोड करने कहा को गया था। इसके बाद अकाउंट क्रिएट करवाया गया, फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को कहा गया। अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 26 लाख 30 रुपए का फर्जी निवेश कराकर ठगी की गई। पीड़ित ने बताया कि जब उसे ठगी का एहसास हुआ तो वह थाने पहुंचा। सेतराम साहू की शिकायत के बाद बोधघाट पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामले की जांच की गई। पुलिस ने बैंक खाता, कंपनी का डाटा, मोबाइल नंबर समेत अन्य सोशल मीडिया अकाउंट ट्रैक किया। इस दौरान पुलिस को पता चला कि ठग गुजरात के किसी ठिकाने में मौजूद हैं, जिसके बाद अफसरों ने जवानों की एक टीम बनाई। टीम को गुजरात भेजा गया। सूरत, जामनगर से पुलिस ने यज्ञेश प्रवीण भाई (25), महेंद्र भीखू भाई (29), घनश्याम भाई भगवान भाई नरोला (33) और अजरिया अभिषेक जयंती भाई (26) को पकड़ा।

इस दौरान पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग-भिलाई और बस्तर इन तीन जगहों से कुल 2 करोड़ 39 लाख 20 हजार 657 रुपए की ठगी की है, जबकि देश के अलग-अलग हिस्सों से लोगों को अपने जाल में फंसाकर कुल 6 करोड़ रुपए ठगे हैं। इनका मुख्य नेटवर्क दुबई से संचालित है। पुलिस ने बताया कि गुजरात के अलग-अलग जगहों से छापेमारी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।

थोक महंगाई दर दो फीसदी के नीचे, जुलाई के 2.04 से घटकर अगस्त में 1.31 प्रतिशत पर पहुंची

नई दिल्ली, 17 सितम्बर (न्यूज चैनल)। थोक मूल्य मुद्रास्फीति जुलाई के 2.04 प्रतिशत की तुलना में अगस्त में घटकर 1.31 प्रतिशत रह गई। सरकार ने मंगलवार को इसके आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार कमोडिटी और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण थोक मुद्रास्फीति चार महीनों में पहली बार 2 प्रतिशत से नीचे आ गई। 17 सितम्बर को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की थोक मुद्रास्फीति अगस्त माह में घटकर 1.31 प्रतिशत रह गई, जबकि पिछले महीने यह 2.04 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में जुलाई में 2.04 प्रतिशत थी। अगस्त 2023 में यह (-) 0.46 प्रतिशत रही थी।

धान बेचने के बाद भी सहकारी समिति ने किसान को नहीं किया था भुगतान, दस साल बाद हाईकोर्ट से मिला न्याय

बिलासपुर, 17 सितंबर(हाईवे चैनल)। धान बेचने के बाद भी सहकारी समिति ने किसान को भुगतान नहीं किया था. दस साल कानूनी लड़ाई के बाद किसान को न्याय मिल सका. हाईकोर्ट के आदेश के बाद समिति ने 3 लाख 45 हजार का चेक प्रदान किया. मुंगेली जिले के सारधा निवासी तोपसिंह राठौर ने वर्ष 2014 में सेवा सहकारी समिति लिमिटेड लोरमी में उत्तम क्वालिटी का 525 बोरा धान तौल कराकर जमा कराया. इसके बाद भी कई साल तक इन्हें भुगतान के लिए भटकाया जाता रहा. 2.08.2019 को उप पंजीयक सहकारी समिति मुंगेली ने पत्र द्वारा सेवा सहकारी समिति मर्यादित लोरमी के अध्यक्ष/प्रबंधक को मामले की जांच कर भुगतान करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला, तो उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली. मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच में हुई.

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सेवा सहकारी समिति लिमिटेड लोरमी को निर्देशित किया कि, वह इस आदेश की मिलने के 15 दिनों के भीतर बोनस के साथ वर्ष 2014 में निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले धान की 525 बोरियों का भुगतान करें. निर्धारित अवधि बीतने पर भी कोई भुगतान नहीं हुआ, तो किसान ने दोबारा अपने अधिवक्ता के जरिये अवमाना याचिका लगाई. जस्टिस एन के व्यास की बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट को बताया गया, कि याचिकाकर्ता को 3 लाख 45 हजार 500 रूपये चेक के जरिए भुगतान किया जा चुका है. कोर्ट ने आदेश दिया, कि समिति से मिले चेक से भुगतान न होने पर वह दोबारा हाईकोर्ट आ सकता है.